



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941

No. 368]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

**सा.का.नि. 437(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय (संयुक्त महानिदेशक तथा उप महानिदेशक) भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय में उप महानिदेशक के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, उप महानिदेशक भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां तक केंद्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप महानिदेशक।	10* (2019) *कार्यभार के आधार पर तथा नागर विमानन मंत्रालय के तारीख 15.03.2019 के आदेश सं. ए-12018/01/2019. ई-II सेक्शन डीजीसीए के अनुरूप निम्नलिखित वितरण के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है:- i. उड़नयोग्यता निदेशालय- पांच (05) पद ii. प्रचालन संवर्ग – दो (02) पद iii. विमान सुरक्षा निदेशालय - एक (01) पद iv. वायुयान इंजीनियरी निदेशालय, उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय और विनियम तथा सूचना निदेशालय – दो (02) पद <b>टिप्पण.</b> - उपरिलिखित पदों के वितरण की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करके प्रत्येक पांच वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13क (131100-216600 रुपये)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>जिसने वेतन मैट्रिक्स में (123100-215900 रुपए) में स्तर-13 में नागर विमानन महानिदेशालय में निदेशक की श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात दो वर्षों की नियमित सेवा की है और समय-समय पर नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> नागर विमानन महानिदेशालय के अधीन विभिन्न निदेशालयों में निदेशक प्रोन्नति हेतु प्रत्येक संवर्ग के लिए पदों के वितरण के अनुसार अपने वर्ग में अथवा इस अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निदेशालय में उपमहानिदेशक के पदों की संख्या के लिए ही पात्र होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति</b> (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी,-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (123100-215900 रूपये) या समतुल्य में स्तर- 13 में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:-</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या वैद्युत इंजीनियरी या वैमानिक इंजीनियरी में डिग्री।</p> <p>(ii) उड़नयोग्यता या विमान सुरक्षा या वायुयान इंजीनियरी के क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें विमानन सेक्टर में योजना तथा प्रशासन में पांच वर्ष का अनुभव भी शामिल है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी; जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष;</li> <li>2. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य; और</li> <li>3. महानिदेशक, नागर विमानन - सदस्य।</li> </ol>	<p>प्रतिनियुक्ति (इसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

[फा. सं. ए.-12018/04/2015-भर्ती सेल]

सत्येन्द्र कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION**  
**(Directorate General of Civil Aviation)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2019

**G.S.R. 437(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation (Joint Director General and Deputy Director General) Recruitment Rules, 2012 in so far as they relate to the post of Deputy Director General in the Directorate General of Civil Aviation except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General in the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation, namely:—

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Directorate General of Civil Aviation, Deputy Director General Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix etc.** - The number of the post, its classification and the level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax .-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Director General.	10* (2019) *Subject to variation dependent on workload and as per the following distribution in consonance with Ministry of Civil Aviation Order No. A-12018/01/2019-E-II Section-DGCA dated 15.03.2019: - (i) Airworthiness Directorate – Five (05) posts. (ii) Operations Cadre – Two (02) posts. (iii) Air Safety Directorate – One (01) post.	General Central Services, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level -13A- in the pay matrix (₹ 131100-216600).	Selection.

	(iv) Aircraft Engineering Directorate, Directorate of Flying Training and Directorate of Regulations and Information – Two (02) posts. <b>Note.</b> - The aforesaid distribution of posts shall be reviewed after every five years in consultation with the Department of Personnel and Training.			
--	--	--	--	--

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>Director in the Directorate General of Civil Aviation in Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) with two years' regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training as prescribed by Directorate General of Civil Aviation from time to time.</p> <p><b>Note 1:</b> The Director in various Directorates under the Directorate General of Civil Aviation shall be eligible for promotion only for the number of posts of Deputy Director General in his own stream as per the distribution of posts for each cadre or the Directorate specified in column (2) of this Schedule.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or Central Armed Police Force or statutory or autonomous organisations,-</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Chairman/Member, Union Public Service Commission -Chairman: -</li> <li>(2) Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member; and</li> <li>(3) Director General of Civil Aviation - Member.</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public service Commission necessary while appointing an Officer on deputation (including short term contract).</p>

<p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Aeronautical Engineering from a recognised University or Institute; and</p> <p>(ii) twelve years' experience in the field of airworthiness or air safety or aircraft engineering including five years' experience in planning and administration in the aviation sector.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years.</p> <p><b>Note 3:</b> The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F. No. A-12018/ 04/2015-R.Cell]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.